पत्थर गढी आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक, राज0

(पीठासीन अधिकारीः हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0––70 / 2022
प्रविष्टि दिनांक ––22.2.2022
उनवानी

1. रामनारायण पुत्र मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
2. लादूलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
3. गोमती पुत्री मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
4. रामप्यारी पुत्री मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
5. गलला पुत्री मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
6. लाडा पुत्री मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
7. सन्तरा पुत्री मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी छावनी टोंक
8. जमना देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
9. किशना पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
10. रमेश पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
11. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
12. लाखन पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
13. गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक
14. रोशन पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी हीरा चौक छावनी टोंक

–वादीगण

बनाम

–प्रतिवादी

तहसीलदार टोंक

उपस्थित–श्री योगेश व्यास– वकील वादीगण
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

प्रार्थना बाबत– अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि0–1956

निर्णय

दिनांक–07/11/2024

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–128 इस आशय का पेश किया गया कि आवेदकगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी **खसरा नम्बर 842 रकबा 1.4417 है0** वाके ग्राम **मेहगांव,** पटदार हल्का **धोलाखेडा** तहसील **टोंक** में स्थित है जिसके आवेदक **सह** खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि मे आवेदक सं0 1, 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा है इस प्रकार उक्त भूमि आवेदक की तन्हा खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। लेकिन मौके पर सीमाए बिगडी हुई है। इसलिए पडौसी खातेदार आये दिन आवेदक की भूमि मे कब्जा करना चाहते है। अतः आवेदकगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहते है, इसलिए आवेदक का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुआ। पैरोकार सरकार द्वारा **प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि आवेदकगण की खातेदारी मे है। भूमि मे खातेदारो का कब्जा है। मौके पर कोई विवाद नही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी न्यायालय का स्थगन नही है।**

आवेदकगण अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। आवेदक उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड **खातेदार** काश्तकार है। आवेदक की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार **टोंक** को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो आवेदक की भूमि **खसरा नम्बर 842 रकबा 1.4417 है0** वाके ग्राम **मेहगांव,** पटवार हल्का **धोलाखेडा** तहसील **टोंक** का पटवारी/भू. अ.नि. की टीम गठित कर, नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की जावे। पत्थर गढी से पूर्व तहसीलदार टोंक सम्बिधत पक्षकारो को यथासंभव सूचित करेगें। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय **दिनांक** .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(हुक्मीचन्द्र रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक